महत्त्वपूर्ण/प्राथमिकता
संख्या- 1407 /छः-पु0-15/2023

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा / उच्च शिक्षा /चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण / ग्राम्य विकास / पंचायती राज/ / नगर विकास / युवा कल्याण / राजस्व / महिला कल्याण / संस्कृति एवं सूचना विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2. समस्त पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट, उ0प्र0 ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।
4. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 ।

गृह(पुलिस)अनुभाग-15 लखनऊः दिनांक- 11 अक्टूबर, 2023

विषयः प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन हेतु आगामी शारदीय नवरात्र के पर्व पर "मिशन शक्ति" के विशेष अभियान (फेज-04) का शुभारम्भ ।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन हेतु पूर्व वर्षों में एक व्यापक कार्ययोजना तैयार करते हुए अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित कर सफलतापूर्वक मिशन शक्ति के विशेष अभियान 03 फेज में संचालित किये गए हैं । प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व अभियानों की भाँति आगामी शारदीय नवरात्र पर्व से "मिशन शक्ति" का विशेष अभियान (फेज-04) शुभारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

2. "मिशन शक्ति" के विशेष अभियान के अन्तर्गत **दिनांक- 14.10.2023 को प्रातः 08:30 बजे से एक-डेढ़ घंटा के लिए जनपद मुख्यालयों में** चार पहिया और दो पहिया वाहनों से जनजागरुकता हेतु **महिला सशक्तिकरण रैली** निकाली जाएगी, जिसमें 112, पी.आर.वी. वाहन तथा एम्बुलेंस भी सम्मिलित रहेंगी । एक वाहन पी.ए. सिस्टम के साथ होगा, जिससे मिशन शक्ति एवं महिला सशक्तिकरण से सम्बन्धित गीत/जिंगल प्रसारित होंगे । 02 चार पहिया तथा 10 दो पहिया वाहनों पर विभिन्न योजनाओं के निम्नांकित पोस्टर्स/बैनर व मिशन शक्ति का प्रतीक चिन्ह (Logo) प्रदर्शित किये जाएंगे, अन्य वाहनों पर मिशन शक्ति से सम्बन्धित फ्लैग / बैनर होंगेः

(1) मिशन शक्ति अभियान (2) निराश्रित विधवा पेंशन योजना (3) जननी सुरक्षा योजना (4) मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (5) मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (6) बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ (7) मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना आदि अन्य भारत सरकार या राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण, रोजगार या सुरक्षा से सम्बन्धित मिशन/योजनाएँ।

CamScanner

रैली रूट के समापन पड़ाव स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। सम्बन्धित क्षेत्र की विशिष्ट महिलाओं को आमंत्रित किया जाए, जहाँ महिला पुलिस अधिकारी भी उपस्थित रहेंगी । महिला बीट कर्मचारी अपने बीट क्षेत्र से अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं एवं बालिकाओं को एकत्रित करना सुनिश्चित करेंगी तथा उपस्थित अधिकारियों द्वारा मिशन शक्ति/नारी सशक्तीकरण से जुड़ी सभी योजनाओं के सम्बन्ध में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करते हुए प्रचार-प्रसार सामग्री यथा पम्फलेट आदि का वितरण किया जाये ।

3. "मिशन शक्ति" के विशेष अभियान (फेज-04) का औपचारिक शुभारम्भ मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा 14 अक्टूबर, 2023 को लोक भवन में 11:00 बजे प्रातः लखनऊ में किया जाएगा। उक्त शुभारम्भ कार्यक्रम से सभी जनपद जुड़ेंगे ।

4. मिशन शक्ति अभियान के दौरान प्रदेश भर के बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यार्थियों को साथ में जोड़ते हुए उनके द्वारा जनजागरूकता की प्रभात फेरियाँ निकाली जाएँ । जन जागरुकता अभियान के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाए । मिशन शक्ति अभियान से जुड़े सभी विभागों द्वारा आगामी 14 और 15 अक्टूबर, 2023 को जनजागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा ।

दिनांक- 16 अक्टूबर, 2023 से मिशन शक्ति से सम्बन्धित समस्त विभाग- गृह / बेसिक शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा / उच्च शिक्षा / चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण / ग्राम्य विकास/ पंचायती राज / नगर विकास / युवा कल्याण / राजस्व / संस्कृति एवं महिला कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित विभागीय कार्य योजना (संलग्नक- क) के अनुरूप कार्यक्रम सम्पादित किये जाएँ । अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में अधिक से अधिक जन सहभागिता सुनिश्चित की जाए ।

5. मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत व वार्ड में सप्ताह में एक दिन कार्यक्रम आयोजित किया जाए, जिसमें बीट पुलिस अधिकारी, आंगनवाड़ी कार्यकत्री, वी0सी0 सखी, लेखपाल, ए0एन0एम0, आशा वर्कर, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, रोजगार सेवक आदि की निर्धारित दिन को उनकी उपस्थिति उस ग्राम/न्याय पंचायत व वार्ड में सुनिश्चित की जाये । आयोजन में ग्राम प्रधानों/सभासदों से भी समन्वय कर आवश्यक सहयोग लिया जाये। प्रत्येक सप्ताह आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों में लोगों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराते हुए योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में आ रही समस्याओं का निराकरण कर कार्य को आगे बढ़ाया जाए । कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं से आवेदन प्राप्त कर उनका पंजीयन करते हुए उन्हें कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाए । महिला सशक्तिकरण जन जागरण के ये कार्यक्रम प्रदेश के समस्त 14,000 वार्ड व 57,705 ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित किये जाएंगे ।

6. उपरोक्त कार्यक्रमों में निम्नानुसार महिला सुरक्षा, महिला केन्द्रित विभिन्न सरकारी योजनाओं व हेल्पलाइन/फोरम के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करते हुए मौके पर समस्याओं का निस्तारण भी किया जाएः

CamScanner

(क) महिला सुरक्षा:

- महिला एवं बच्चों से सम्बन्धित समस्याओं एवं मुद्दों पर समझ बनाना।
- महिला एवं बच्चों से सम्बन्धित विभिन्न प्रमुख कानूनों यथा-घरेलू हिंसा से संरक्षण, दहेज प्रतिषेध, कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, अनैतिक व्यापार निवारण, पाक्सो, बाल विवाह प्रतिषेध, बाल श्रम एवं भारतीय दण्ड संहिता में महिलाओं की गरिमा के विरूद्ध प्रमुख अपराध आदि की जानकारी देना।

(ख) महिला केन्द्रित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना:

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बैंकिंग करस्पाण्डेण्ट सखी, राष्ट्रीय पोषण योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पी0एम0 स्वनिधि योजना, पी0एम0 सम्मान निधि योजना, वन स्टाप सेण्टर, आयुष्मान योजना, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना, महिला शक्ति केन्द्र योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, कन्या सुमंगला योजना, महिला ई-हाट, आदि योजनाओं की आच्छादता, पात्रता हेतु अर्हताएँ, मापदण्ड, आवेदन की प्रक्रिया आदि के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी सर्व सम्बन्धित विभागों के स्थानीय अधिकारियों द्वारा प्रदान किया जाना। साथ ही बजट उपलब्धता आधार पर हर गाँव/नगर से ऐसे पात्र व्यक्तियों का चयन करके उन्हें योजना का लाभ दिलाया जाना।

(ग) महिला हिंसा से सम्बन्धित तथा अन्य शिकायतों के निवारण हेतु विभिन्न हेल्पलाइन नम्बर/फोरम के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करना:

- वीमेन पावर लाइन -1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, इमरजेन्सी कॉल/पैनिक बटन-मोबाइल पर डेमो, सी0एम0 हेल्प-लाइन नम्बर-1076, चाइल्ड हेल्प-लाइन नम्बर-1098, वन स्टाप सेण्टर-181, साइबर हेल्प-लाइन-1930, स्वास्थ्य सेवा हेल्प-लाइन-102, एम्बुलेंस सेवा-108, जनसुनवाई पोर्टल, स्थानीय थाने की महिला हेल्प डेस्क, जिला संरक्षण अधिकारी, राष्ट्रीय/राज्य महिला आयोग, जनपद न्यायालय में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण।

उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्या के अनुसार सहायता हेतु सम्बन्धित हेल्पलाइन/फोरम तक पहुँच एवं समस्या निवारण के प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी जाए।

(घ) मौके पर समस्याओं का निस्तारण- जैसे पारिवारिक विवाद, घरेलू हिंसा, छेड़खानी, विभिन्न योजनाओं के लाभ प्राप्ति में कठिनाई, वृद्धजन/निराश्रित महिलाओं की समस्या व साइबर अपराध आदि।

7. कार्यक्रमों को प्रभावी वनाने हेतु विभिन्न माध्यमों जैसे-लघु फिल्म, नुक्कड़ नाटक, ध्वनि संदेश, संवाद, सूचनापरक पुस्तिका व सूचनापरक पम्फलेट आदि का प्रयोग किया जाये तथा सरकारी योजनाओं के सम्वन्ध में पम्फलेट का वितरण भी किया जाये।

CamScanner

8. आयोजित कार्यक्रमों से सम्बन्धित फोटो, वीडियो, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्रसारित किया जाए तथा प्रिण्ट/इलेक्ट्रानिक मीडिया से समन्वय करते हुए आवश्यक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए ।

9. कमिश्नरेट/जनपद स्तर पर सम्पन्न कार्यक्रमों की पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन मुख्यालय की ई-मेल आई0डी0- 1090police@gmail.com पर उपलब्ध करायी जाए ।

10. महिला सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन की पूर्ति में सेफ सिटी परियोजना अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रही है । अतः परियोजना के पहले चरण के अन्तर्गत 17 नगर निगमों और जनपद गौतमबुद्ध नगर के अवशेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण किया जाए, ताकि इन शहरों को सेफ सिटी की संज्ञा तत्काल दी जा सके।

11. उपरोक्त निर्देशों का पालन तत्काल प्रभाव से किया जाए।

भवदीय,

Signed by दुर्गा शंकर मिश्र
Date: 11-10-2023 18:25:55
Reason: Approved

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव ।

संख्या एवं दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0, शासन ।
2. पुलिस महादिनेशक, उ0प्र0 लखनऊ ।
3. विशेष पुलिस महानिदेशक, कानून-व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, अभियोजन / महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उ0प्र0 ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 ।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 ।
7. समस्त जोनल, अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 ।
8. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0 ।
9. समस्त सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 ।

आज्ञा से,

(संजय प्रसाद)
प्रमुख सचिव ।

CamScanner

संलग्नक- क

मिशन शक्ति अभियान हेतु विभागवार प्रस्तावित कार्ययोजना / रूपरेखा
(शारदीय नवरात्र के प्रथम दिवस- 15 अक्टूबर, 2023 से शुभारम्भ)

1. गृह विभाग-

1. प्रत्येक सप्ताह बुधवार के दिन 02 महिला पुलिस कर्मियों की टीम व ग्राम/न्याय पंचायत हेतु नियुक्त बी0सी0सखी, राजस्व लेखपाल, ए0एन0एम0, आशा वर्कर व अन्य सभी का ग्राम/न्याय पंचायत भ्रमण।

2. भ्रमण के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा अन्य सरकारी विभागों के कर्मियों से समन्वय कर निम्नांकित 03 विन्दुओं के सम्वन्ध में ग्राम/न्याय पंचायत की महिलाओं के साथ संवाद स्थापित किया जानाः-

(क) महिला सुरक्षा:-

- महिला एवं बच्चों से सम्वन्धित समस्याओं एवं मुद्दों पर समझ वनाना।
- महिला एवं बच्चों से सम्बन्धित विभिन्न प्रमुख कानूनों यथा-घरेलू हिंसा से संरक्षण, दहेज प्रतिषेध, कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, अनैतिक व्यापार निवारण, पाक्सो, वाल विवाह प्रतिषेध, वाल श्रम एवं भारतीय दण्ड संहिता में महिलाओं की गरिमा के विरूद्ध प्रमुख अपराध आदि की जानकारी देना।

(ख) विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करनाः-

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, वैकिंग करस्पाण्डेण्ट सखी, राष्ट्रीय पोषण योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना, वेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पी0एम0 स्वनिधि योजना, पी0एम0 सम्मान निधि योजना, वन स्टाप सेण्टर, सेफ सिटी योजना, आयुष्मान योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना, महिला शक्ति केन्द्र योजना, यू0पी0 भाग्य लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, कन्या सुमंगला योजना, महिला ई-हाट।

(ग) महिला हिंसा से सम्बन्धित तथा अन्य शिकायतों के निवारण हेतु विभिन्न हेल्पलाइन नम्बर/फोरम के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करनाः-

- वीमेन पावर लाइन -1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, सी0एम0 हेल्प-लाइन नम्बर-1076, चाइल्ड हेल्प-लाइन नम्बर -1098, वन स्टाप सेण्टर-181, साइवर हेल्प-लाइन-1930, स्वास्थ्य सेवा हेल्प-लाइन-102, एम्वुलेंस सेवा-108, जनसुनवाई पोर्टल, स्थानीय थाने की महिला हेल्प डेस्क, जिला संरक्षण अधिकारी, राष्ट्रीय/राज्य महिला आयोग, जनपद न्यायालय में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण।

3. शहरी क्षेत्रों में मोहल्लावार इसी प्रकार से कार्ययोजना वनाकर कार्यवाही सम्पन्न करायी जायेगी।

2. ग्राम्य विकास विभाग-

- 36816 ग्राम पंचायतों में 18-40 वर्ष आयु वर्ग की वी0सी0 सखियों तथा जिन ग्राम पंचायतों में वी0सी0 सखी पदस्थापित नहीं है, उन ग्राम पंचायतों में 18-40 वर्ष आयु वर्ग की समूह सखियों/कृषि आजीविका सखियों/स्वास्थ्य सखी/विद्युत सखी तथा स्वयं सहायता समूह में से को स्थानीय महिला पुलिस के माध्यम से आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान कर मास्टर ट्रेनर के रूप में दक्ष किया जाना।
- मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत शेष 8,97,380 परिवारों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर आजीविका गतिविधियों से जोड़ते हुए उनका सामाजिक एवं आर्थिक स्वावलंवन सुनिश्चित किया जाना।
- वित्तीय वर्ष 23-24 की अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुसार महिला सदस्यों को वित्तीय समावेशन एवं आजीविका गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु कुल 2,20,000 स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फण्ड निर्गत किया जाना।
- समूह की सदस्यों को वित्तीय समावेशन एवं आजीविका गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु कुल 1,05,000 स्वयं सहायता समूहों को सामुदायिक निवेश निधि निर्गत किया जाना।

3. महिला एवं बाल विकास विभाग

- हक की बात जिलाधिकारी के साथ (मेगा इवेंट)- हिंसा से पीड़ित महिलाओं का जिलाधिकारी के साथ संवाद।

CamScanner

- <u>दुर्गा शक्ति मेगा सेफ्टी वर्कशॉप-</u> बालिका गृहों में आवासित बालिकाओं हेतु सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण कार्यशालायें।
- <u>शक्ति कार्यशालायें-</u> समस्त जनपदों में कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत गठित स्थानीय व आंतरिक परिवाद समितियों का प्रशिक्षण व अभिमुखीकरण।
- <u>युवा शक्ति पुनर्वास कार्यशाला-</u> आफ्टरकेयर में शामिल युवाओं के साथ पुनर्वास कार्यशाला का आयोजन।
- <u>अडॉप्शन वीक सेलिब्रेशन –</u> प्रदेश में बच्चों विशेषकर बालिकाओं को दत्तकग्रहण के माध्यम से पुनर्वासित करने हेतु जागरूकता सप्ताह।
- <u>बाल अधिकार सप्ताह-</u> प्रदेश के समस्त जनपदों में विभिन्न गतिविधियों जैसे नुक्कड नाटक, खेलकूद प्रतियोगिता आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन।
- <u>शक्ति संवाद-</u> मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत लाभार्थी बच्चों के साथ जिलाधिकारी द्वारा संवाद।
- <u>सहायक व्यक्तियों का इम्पैनलमेंट -</u> पॉक्सो एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के प्रत्येक जनपद में सहायक व्यक्तियों का इम्पैनलमैन्ट।
- <u>मिशन कार्यशालायें-</u> प्रदेश में महिलाओं तथा बच्चों से संबंधित योजनाओं को गति देने तथा प्रभावी क्रियान्वयन तथा हेतु जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में मिशन वात्सल्य व मिशन शक्ति योजनाओं की 01 दिवसीय कार्यशालायें।
- <u>स्वावलम्बन कैम्प-</u> वृहद स्तर पर कैम्प लगाकर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला, उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना तथा निराश्रित महिला पेंशन योजना की जागरुकता व आवेदन कराना।

4. <u>युवा कल्याण विभाग-</u>
   - 1500 महिला मंगल दलों, 4000 युवक मंगल दलों एवं 1000 प्रांतीय रक्षक दल के स्वयं सेवकों को आपदा प्रत्युत्तर हेतु आपदा प्रहरी के रूप में विकसित करने हेतु आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षण प्रदान किया जाना।
   - निर्भया योजनान्तर्गत महिला मंगल दलों के 41,140 सदस्यों को आत्मरक्षा, स्वावलम्बन व सशक्तिकरण हेतु आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाना।
5. <u>उच्च शिक्षा-</u>
   - शिक्षा में लैंगिक समानता प्राप्त करने हेतु महिलाओं को उच्च शिक्षा में समान अवसर प्रदान करते हुए उनकी नामांकन दर में वृद्धि किये जान हेतु जागरुकता अभियान संचालित किया जाना।
   - समस्त विश्व विद्यालयों/महाविद्यालयों/विद्यालयों में वेबिनार/सेमिनार आयोजित कर महिला सुरक्षा के विविध प्राविधानों/कानूनों की जानकारी प्रदान किया जाना।
   - समस्त विश्व विद्यालयों/महाविद्यालयों/विद्यालयों में लैंगिक समानता, बालिकाओं के स्वास्थ्यवर्धन एवं पोषण के प्रति जागरुकता हेतु वेबिनार व व्याख्यानमालाओं का आयोजन।
   - छात्राओं को आपातकाल में आत्मसुरक्षा हेतु मार्शल आर्ट/जूडो का प्रशिक्षण प्रदान किया जाना।
   - "चुप्पी तोड़ो, खुलकर बोलो" कार्यक्रम के अन्तर्गत बालिकाओं की समस्याओं को सुनकर उन्हें एन.जी.ओ. तथा मनोचिकित्सकों के माध्यम से यथोचित परामर्श दिया जाना।
   - प्रत्येक विश्व विद्यालय/महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं हेतु कम से कम एक स्वास्थ्य परीक्षण कैम्प का आयोजन।
   - पुलिस विभाग के सहयोग से प्रत्येक जनपद में महिला सुरक्षा एवं साइबर क्राइम पर जागरुकता अभियान का संचालन।
   - प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान द्वारा माह में एक बार किसी महिला रोल मॉडल के साथ संवाद का आयोजन तथा महिला सुरक्षा हेतु संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार।
   - विशिष्ट दिवसों पर विशिष्ट दिवस के विषय से सम्बन्धित कार्यक्रम का आयोजन।
   - समाज के सभी नागरिकों, विशेष रूप से बालकों के मध्य बालिका की सुरक्षा एवं सम्मान की भावना जागरुक करने और संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से बालिका सुरक्षा शपथ दिलाया जाना।

CamScanner

6. नगर विकास विभाग-

- स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत महिलाओं को आस-पास स्वच्छता/सफाई रखने हेतु संवेदित करते हुये कचरा प्रबंधन की जानकारी देना, सूखे गीले कूड़े को अलग अलग करके डोर टू डोर कलेक्शन में सहयोग करने हेतु प्रेरित करना, जागरूकता अभियान चलाकर सिंगल यूज प्लास्टिक के एकत्रीकरण, पुनर्चक्रण तथा उससे सम्बन्धित प्रतिबन्धों व विकल्पों की जानकारी देना। मलिन बस्तियों में सफाई अभियान कराना।
- पर्यावरण के संग्रहणकर्ता, संरक्षक व प्रवन्धक के रूप में महिलाओं की अहम भूमिका होने के कारण जल प्रबंधन हेतु जल व वृक्ष संरक्षण हेतु प्रेरित करना, जैविक कूड़े से होम कम्पोस्टिंग करने हेतु प्रेरित करना।
- संचारी रोगों व दिमागी बुखार के रोकथाम हेतु साफ सफाई, हाथ धोना, शौचालय की सफाई आदि सावधानी बरतने, शुद्ध पेयजल के महत्व को बताना।
- कचरा मुक्त शहर अभियान के अन्तर्गत स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली बालिकाओं, किशोरियों, महिलाओं को प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत करना।
- शासन प्रशासन द्वारा जारी महत्वपूर्ण संदेशों का निकाय स्तर पर प्रसारण करना। शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं यथा- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या सुमंगला योजना, अन्नपूर्णा योजना, जननी सुरक्षा योजना, आपातकाल हेल्प लाईन नं0 जैसे- 1098 1090, 112 का प्रचार-प्रसार करना अपशिष्ट संग्रहण/परिवहन वाहनों तथा पानी की टंकियों पर महिला सशक्तिकरण के स्लोगन्स व हेल्प लाइन नं0 प्रदर्शित करना।
- निकाय में सेल्फी प्वाइंट बनाकर मिशन शक्ति के लोगो का प्रदर्शन करते हुए गुलाबी विचार पेटिका रख कर महिला सशक्तिकरण से संबंधित अनुभव, सुझाव, विचार सम्बोधन आदि संकलित करना।
- महिलाओं की रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु पेंटिंग रंगोली, मेंहदी की प्रतियोगिता व कार्यशालाओं का आयोजन करना व पुरस्कृत करना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मंचन/नाट्य मंचन/नुक्कड़ नाटक का आयोजन करना। आत्म सुरक्षा हेतु जूडो कराटे के माध्यम से कार्यशाला का आयोजन कर आत्मरक्षा प्रशिक्षण देना।
- महिलाओं के कौशल उन्नयन व स्वावलम्बन हेतु उनको सिलाई उत्पाद बनाना, हस्तकला, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, पोल्ट्री, मछली पालन, पाककला आदि की जानकारी देकर प्रशिक्षण देना। विधवा, अबला, परित्यक्ता व निराश्रित महिलाओं की पहचान करके समाजसेवियों की मदद से रोजगार दिलवाने का प्रयास करना।
- महिला सफाई कर्मियों का स्वास्थ्य परीक्षण करना व निकाय सीमान्तर्गत रैगपिकर्स का पंजीकरण कराते हुए उनका भी स्वास्थ्य परीक्षण कराना। महिला चिकित्सा शिविर का आयोजन करना, आयुष्मान योजना की जानकारी देना।
- निकाय कार्यालय के विभिन्न संवर्गों यथा- राजस्व अभियंत्रण, अधिष्ठान, तकनीकि, सफाई, चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों, आदि में से 09 कार्यरत महिलाओं को "नवशक्ति सम्मान" से सम्मानित करना।
- विशिष्ट महिलाओं को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करके मिशन शक्ति संवाद के दृष्टिगत निजी संस्थाओं, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बैंकिंग संस्थान, चिकित्सालयों के साथ मिशन शक्ति से संबंधित कार्यक्रम करना, गोष्ठी का आयोजन करना।
- महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु विभिन्न कानूनों की जानकारी देना, सम्पत्ति का अधिकार की जानकारी देना, कन्या भ्रूण हत्या गैर कानूनी होने के सम्बन्ध में जानकारी देना, छेड़खानी व हिंसा से संबंधित अनुभवों पर मार्गदर्शन देना, अधिवक्ताओं/विधि विशेषज्ञों के माध्यम से सहायता करना व साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाना। महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम-2013 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित स्तरों पर आन्तरिक प्रतिवाद समितियों स्थानीय परिवाद समितियों के गठन की कार्यवाही आदि की जानकारी देना।

CamScanner

7. <u>चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-</u>

- जन जागरुकता रैलियों में प्रत्येक स्तर पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों/कर्मियों के द्वारा पूर्ण सहयोग/प्रतिभागिता सुनिश्चित किया जाना।
- जन जागरुकता रैलियों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं हेतु विकसित की गयी आई0ई0सी0 का प्रयोग एवं प्रदर्शन।
- महिलाओं एवं बालिकाओं हेतु संचालित की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों के विषय में जागरूकता एवं परामर्श सेवायें प्रदान करना।
- ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित रैलियों में आशा एवं ए0एन0एम0 इत्यादि के द्वारा प्रतिभागिता एवं महिलाओं/बालिकाओं हेतु संचालित स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के विषय में जागरूकता एवं काउन्सलिंग।

<u>महिलाओं/बालिकाओं हेतु निम्नांकित संचालित स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के विषय में जागरुकता तथा परामर्श दिया जाना:-</u>

- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA)
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)
- ई0-रूपी वाऊचर सेवा
- ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस (VHSND)
- जननी सुरक्षा योजना (JSY)
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK)
- सुरक्षित प्रसव हेतु प्रसव इकाईयों (Delivery Point) में वृद्धि।
- जटिल प्रसव हेतु प्रथम सन्दर्भन इकाईयों (FRUs) की स्थापना।
- गर्भवती महिलाओं हेतु 102 एम्बुलेंस सेवा।
- एन0पी0सी0डी0सी0एस0 के अन्र्तगत 30 वर्ष से अधिक महिलाओं हेतु मधुमेह, उच्च रक्तचाप, स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर की निःशुल्क स्क्रीनिंग एवं सन्दर्भन की सुविधा।
- परिवार नियोजन के स्थायी एवं अस्थायी साधनों की निःशुल्क उपलब्धता एवं परामर्श सेवायें।
- कुपोषित बालिकाओं हेतु पोषण पुर्नवास केन्द्रों (एन0आर0सी0) एवं गंभीर शिशुओं के उपचार हेतु सिक न्यू बार्न केयर यूनिट (एस0एन0सी0यू0) की स्थापना।
- 10-19 वर्ष की बालिकाओं में एनीमिया से बचाव के लिये साप्ताहिक आयरन सम्पूरण कार्यक्रम (WIFS) के अन्तर्गत प्रतिमाह आयरन की गोलियों को खिलाया जाना।
- राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान (NDD) के अन्तर्गत 01 से 19 वर्ष के बच्चों को पेट के कीड़ों से मुक्ति के लिये टैबलेट एल्बेण्डाजोल खिलाया जाना।

8. <u>बेसिक शिक्षा विभाग-</u>

- उपस्थिति अभियान- 1.33 लाख विद्यालयों में बालिकाओं की विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए प्रत्येक शनिवार उपस्थिति अभियान चलाना तथा प्रायः अनुपस्थित रहने वाली बालिकाओं के अभिभावकों से सम्पर्क कर उन्हें जागरुक किया जाना।
- 1.33 लाख विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के माध्यम से छात्र-छात्राओं को बाल अधिकारों, सुरक्षा एवं संरक्षा, सेफ टच, अनसेफ टच आदि मुद्दों पर जागरुक कर जानकारी प्रदान करना। 1.33 लाख पावर एंजिल्स का सशक्तिकरण।
- 1.33 लाख विद्यालयों में बालिका शिक्षा के महत्व पर बच्चों से चित्रकला, वाद-विवाद, चर्चा-परिचर्चा, बाल-अखबार आदि का निर्माण कराते हुए प्रदर्शनी लगाकर जागरूकता एवं प्रोत्साहन प्रदान करना।
- प्रोजेक्ट वीरांगना के अंतर्गत गृह विभाग के सहयोग से 11,000 पी0टी0आई0 शिक्षकों को प्रशिक्षित करते हुए उच्च प्राथमिक विद्यालय की 40 लाख बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण प्रदान करना।

CamScanner

- उच्च प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों में बालिकाओं के लिये चालू दशा में शौचालय एवं इंसीनरेटर की स्थापना करना।
- बच्चों को कानूनी प्राविधानों यथा- शिक्षा का अधिकार, पॉक्सो, बाल-विवाह, दहेज-प्रथा, घरेलू-हिंसा आदि के बारे में जागरूक करना। इसके अतिरिक्त हेल्पलाइन नम्बर 1098, 1090, 112 तथा 181 की जानकारी प्रदान किया जाना।
- उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नियमित रूप से बालिकाओं के साथ माहवारी स्वच्छता प्रबन्धन के विषय पर चर्चा करना तथा एक्टिविटी बुक के माध्यम से प्रशिक्षित करना।
- के0जी0बी0वी0 में अध्ययनरत 79,000 बालिकाओं को जागरूक एवं सशक्त बनाने हेतु नियमित रूप से गतिविधियों का संचालन।

9. <u>राजस्व विभाग-</u>

- विवादित वरासत समयान्तर्गत दर्ज करते हुए महिला खातेदारों का वरासत दर्ज करने के उपरांत निःशुल्क खतौनी का वितरण।
- महिलाओं के पक्ष में स्वीकृत किये गये विभिन्न पट्टों (कृषि आवंटन, आवास आवंटन, मत्स्य पालन आवंटन व कुम्हारी कला आवंटन) का वितरण प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह में कराया जाना।
- प्रदेश की प्रत्येक तहसील में स्थापित महिला हेल्प डेस्क पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का समयान्तर्गत गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से प्रार्थिनी को अवगत कराया जाना।

10. <u>माध्यमिक शिक्षा विभाग-</u>

- विद्यालयों में आन्तरिक शिकायत समिति (विशाखा गाइडलाइन) के उद्देश्यों एवं कार्यकलापों के सम्बन्ध में छात्र-छात्राओं और महिला अध्यापिकाओं को जानकारी प्रदान किया जाना।
- आपातकालीन सहायता हेतु चाइल्ड हेल्पलाइन- 1098, महिला हेल्पलाइन- 181 / 1090, पुलिस कन्ट्रोल रूम- 112, एम्बुलेंस- 108, नजदीकी थाने के नम्बर की पूरी जानकारी सहित वॉल राइटिंग कराया जाना।
- बालिकाओं एवं महिलाओं में उनके अधिकारों के प्रति चेतना जागृत करने के लिए प्रत्येक विद्यालय में "शक्ति मंच" का गठन/आयोजन किया जाना।
- विद्यालयों में बालिकाओं की सुरक्षा विषयक विधिक प्रावधानों पर जागरूकता हेतु निबन्ध, भाषण, वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन तथा विशेषज्ञ महिला संदर्भदाताओं के माध्यम से परिचर्चा आयोजन किया जाना।
- प्रत्येक माह विद्यालय में विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त स्थानीय महिलाओं को विद्यालय में आमंत्रित करके विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाना।

11. <u>संस्कृति विभाग-</u>

- जन जागरुकता कार्यक्रमों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन।
- महिला सशक्तिकरण से सम्बन्धित लघु नाटिका व नृत्य नाटिका आदि का आयोजन।

12. <u>पंचायती राज विभाग-</u>

- 58,189 ग्राम पंचायतों, 826 क्षेत्र पंचायतों एवं 75 जिला पंचायतों में महिला मुद्दों एवं सुरक्षा को केन्द्रित करते हुए बैठकों का आयोजन किया जाना।
- बालिका जन्म का अनुश्रवण निगरानी समिति के माध्यम से कराते हुए सी0आर0एस0 पोर्टल पर शत-प्रतिशत बालिका जन्म पंजीकरण कराकर जन्म प्रमाण-पत्र निर्गत कराना एवं इसको एक सतत् प्रक्रिया के रूप में कार्य प्रणाली का भाग बनाया जाना।
- पंचायतों में स्थापित शासकीय प्राथमिक, अपर प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के बालिका शौचालय की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण कराया जाना।

(वी० के० सिंह)
विशेष सचिव,
गृह विभाग,
उत्तर प्र... शासन।